पूर्वी उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद का प्रसार एवं उसका भारत की आन्तरिक सुरक्षा पर प्रभावः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० संजय कुमार
(एसोसिएट प्रोफेसर)
रक्षा अध्ययन विभाग
मेरठ कॉलेज
मेरठ (उ० प्र०)
ईमेलः aridsssanjay@gmail.com

डॉ० नीलम कुमारी
(एसोसिएट प्रोफेसर)
रसायन विभाग
मेरठ कॉलेज
मेरठ (उ० प्र०)

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 18.08.2021
Approved: 10.09.2021

डॉ० संजय कुमार
डॉ० नीलम कुमारी

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद का प्रसार एवं उसका भारत की आन्तरिक सुरक्षा

RJPP 2021,
Vol. XIX, No. II,

pp.275-284
Article No. 36

Online available at : https://anubooks.com/rjpp-2021-vol-xix-no-1

सारांश

भौतिकता एवं आर्थिक होड़ की दौड़ में कोई भी देश किसी भी देश का स्थायी मित्र या शत्रु बनकर नहीं रह सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रक्षा तैयारी के अलावा, आर्थिक सुदृढ़ता, आन्तरिक सम्बद्धता और प्रौद्योगिकी प्रगति भी आवश्यक है। व्यापक सुरक्षा परिवेश एवं बदलती विश्व व्यवस्था के आधार पर भारतीय सुरक्षा की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा चुनौतियों के सन्दर्भ में व्यापक चिन्तन, मनन एवं अध्ययन करने के साथ–साथ नित सजग रहने की सतत आवश्यकता है। एक ओर जहाँ हमारे पड़ोसी देश नित–नयी रणनीति के माध्यम से भारत–विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे है, वही दूसरी ओर जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्रीयता, भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, एवं निजी स्वार्थ की आड़ में नक्सलवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, एवं आतंकवाद आदि आन्तरिक समस्याएँ भारतीय सुरक्षा परिवेश को बुरी तरह विशाक्त बना रही है।

वर्तमान में देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद एक बड़ी एवं कड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। यह लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, विकास एवं शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर विस्तार करता जा रहा है। नक्सलवाद का जन्म मूल रूप से आर्थिक व सामाजिक असमानता, अन्याय, अपराध असुरक्षा, दबाव, दमन एवं दहशत आदि के कारण हुआ। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव में भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत इस आन्तरिक समस्या की नीवं रखी गई। गरीबी व अमीरी के बीच भेदभाव एवं असमानता ने हिंसा की विष–बेल इतनी फैला दी कि वह अमरबेल बनकर भारत के अनेक राज्यों में तेजी

से फैल गई। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडू राज्यों के साथ ही पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात राज्यों में भी जड़े जमाने की ओर अग्रसर है। वस्तुस्थिति यह है कि नक्सलवाद भारत के किसी एक राज्य की समस्या नहीं है बल्कि यह देश के बड़े भू–भाग पर अपने पांव पसार चुका है। इसी कारण प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए नक्सलवाद को देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे गम्भीर चुनौती के रूप में स्वीकार किया है।

सन् 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गाँव से किसान आन्दोलन के रूप में शुरू हुए, इस संघर्ष को सन् 1967 में नक्सली आन्दोलन कहाँ गया। नक्सलवाद का उदय तीन विचारधारा, तीन गाँव, तीन लक्ष्य एवं तीन नेताओं के साथ सम्बद्ध है–

तीन नेता	–	कान्यू सान्याल, चारू मजूमदार व जंगल संथाल
तीन गाँव	–	नक्सलवाड़ी, खारीबाड़ी, तथा फांसीदेवा
तीन उद्देश्य	–	खेत जोतने वालों को खेत का हक मिले। विदेशी पूंजी की ताकत समाप्त की जाये। वर्ग एवं जाति के विरूद्ध संघर्ष हो।
तीन विचार धारायें	–	सी0पी0आई0 (मार्क्सवादी लेनिनवादी माले) पी0डब्ल्यू0जी0 (पीपुल्स वार ग्रुप) एम0सी0सी0 (माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर)

वास्तव में नक्सलवाद के उदय का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामयिक एवं काफी हद तक प्रशासनिक शोषण से सम्बन्धित है। जातीयता, क्षेत्रीयता, असंतुलित विकास, बेरोजगारी, मानसिक पिछड़ापन भी एक बड़ा मुद्दा है। देश में स्वाधीनता के बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में घोर विशमता व्याप्त है, चाहे वह क्षेत्र आर्थिक हो, सामाजिक हो अथवा राजनीतिक, सामाजिक तौर पर तो यहाँ सदियों से वर्गीय असमानता मौजूद है। इस वर्गीय असमानता में प्रत्येक प्रकार की विषमता का बीज समाहित है। नक्सलवाद भी इस बीज से उपजा है। प्रस्तुत शोध प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में नक्सलवाद के कारण, विस्तार एवं प्रभाव का विश्लेशणात्मक अध्ययन किया जायेगा।

भारत की एकता और अखण्डता के लिए विद्यमान समस्याओं में आतंकवाद, अलगवाद के साथ नक्सलवाद एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। विगत कुछ वर्षों तक नक्सलवाद को एक क्षेत्रीय समस्या माना जाता था लेकिन अब यह एक राश्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुका है। वर्तमान समय में नक्सलवाद, साम्यवादी उग्रवाद के रूप में भारत के लगभग 11 राज्यों के 90 जिलों, लगभग 45 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या एवं लगभग 40 प्रतिशत प्रस्तावित भू भाग वाले क्षेत्र में फैल चुका है और लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता जा रहा है।

1966 में भारत के दार्जिलिंग से नक्सलवाद प्रारम्भ होकर त्रिपुरा आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों में अपनी जड़ जमा चुका है। नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की खतरनाक प्रवृत्ति अनेक स्थानों पर समानान्तर सत्ता के रूप में दिखने भी लगी है। वामपंथी उग्रवादी आज लगभग नौ प्रदेशों में समानान्तर सरकार चलाने की स्थिति में पहुंच गये हैं। जो क्रमशः वर्ग संघर्ष (शोषित बनाम शोषक)

सर्वधारा वर्ग बनाम अभिजात्य वर्ग साम्यवादी हिंसक विचारधारा बनाम प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर आधारित हो गया है। नक्सलवादी हिंसात्मक आन्दोलन अब राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद नासूर की भांति अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है।

नक्सलवाद या नक्सलवादी आतंक का आशय है माओत्से तुंग के क्रान्तिकारी वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद, जिसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। माओ की इसी विचारधारा से प्रेरित होकर चारू मजूमदार एवं कनु सान्याल ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिग जिले के नकसलवाडी गांव में क्रान्तिकारी गतिविधियों की शुरूआत की इसलिए इसे नक्सलवाद कहा गया। नकसलवादियों ने लोकतान्त्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करते हुये जनक्रान्ति पर बल दिया है। इसके लिए उन्होंनें भूमिहीन कृशकों को संगठित कर गुरिल्ला पद्धति द्वारा भूपतियों या जमीदारों के विरूद्ध खूनी संघर्ष का तरीका अपनाया इस तरह भारत में नक्सलवादी आन्दोलन 1966 से प्रारम्भ होकर त्रिपुरा आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में फैल गया है। नक्सली संगठनों को अन्य आतंकी संगठनों और पड़ोसी देशों से धन और हथियारों की व्यापक आपूर्ति हो रही है।

वास्तव में नक्सलवाद कोई दार्शनिक सिद्धान्त नहीं है, यह एक साधन है जिसके मेल में किसी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन की आकांक्षा निहित रहती है यह एक हिंसक नीति है जिसमें हिंसा के माध्यम से जनता में या समाज में आतंक फैलाया जाता है इसमें हिंसा का प्रयोग जानबूझकर किया जाता है, यद्यपि इसकी हिंसा क्रान्ति की हिंसा की परिणित से अलग होती है लेकिन फिर भी यह एक प्रकार से राजनीतिक हिंसा की अभिव्यक्ति है। नक्सली कार्यवाहियों का एक अनर्तनिहित लक्ष्य होता है भय का वातावरण निर्मित करना तथा राजनीतिक रियायतों के लिए विरोधियों पर दबाव डालना और इसके लिए, निर्दोश लोगों की भी हिसा का शिकार बनाया जाता है।

नक्सलवाद को प्रायः समुचित सामाजिक समर्थन मिलता है लेकिन यह समर्थन भी कमोवेश भय की उपज होती है क्योंकि आतंकग्रस्त लोगो में समर्पण तो पाया जा सकता है परन्तु ऐसे समर्थकों का सहयोग नहीं जो नितान्त निजी हित को समाज के बष्हत्तर हित हेतु बलिदान करने को तत्पर रहते हैं यही कारण है कि नक्सलवाद कभी सत्ता परिवर्तन में कामयाब नहीं हो पाता और यदि किसी तरह नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोगों की घुसपैठ सत्ता में हो जाती है तो सत्ता का उपयोग सकरात्मक न होकर अत्याचारी और विंध्वसक रूप धारण कर लेता है।

यह देखा गया है कि 95 प्रतिशत नक्सलवादी घटनाओं में बुनियादी रणनीतियां अपनायी गयी। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में कार्यरत नकसली संगठन अपने कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए मुख्यतः 3 तरीकों कर प्रयोग कर रहे हैं जो निम्नलिखित हैं।

1. संचार सेवा नष्ट करना इससे न केवल जनता का ध्यान उनकी ओर आकृष्ठ होता है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसके अन्तर्गत रेलवे की पटरी हटा देना विद्युत पोल, विद्युत–गृहों को उड़ा देना टेलीफोन लाइनों को नष्ट कर देना, ट्रेन, बसों में बम रखना उनको ध्वस्त कर देना, स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों अथवा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर बम रखना डाकघर, तारघर आदि को विस्फोटित करना आदि कार्यवाहियां की जा रही है।

2. अपहरण करना और बन्धक बनाना इसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तियों, राजनीतिज्ञों, अधिकारियों शिक्षाविदों, प्रबन्धकों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों का अपहरण कर के सरकार से अपनी

मांग मनवाये जाने के अनेक उदाहरण है प्रायः मांग पूरी न होने की स्थिति में बन्धकों को मार भी दिया जाता है।

3. सामूहिक नरसंहार इसका उद्देश्य जनता में दीर्घ पैमाने पर आतंक फैलाना होता है। इसमें बसों, ट्रेनों से यात्रियों को उतारकर गोलियां मार देना, जनता के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अंधाधुंध गोलीबारी करके लोगों को हताहत कर देने की कार्यवाही की जाती है।

नक्सलवाद के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या नक्सलवाद राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है या राजनीतिक अस्थिरता नक्सलवाद को जन्म देती है। यदि हम यह मान लें कि नक्सलवाद आंतरिक अस्थिरता को जन्म देती है तो क्या यह एक प्राकृतिक आपदा है नहीं वस्तुतः यह समाज के अन्दर घट रही घटनाओं की प्रतिक्रिया होती है अतः अगर कोई प्रतिक्रिया दिखाई दे रही तो अवश्य ही कोई न कोई पूर्वगामी क्रीया भी होगी। नक्सलवाद कानूनी व्यवस्था का सामान्य समस्या नहीं है और न ही अनिर्देशित उददेश्यहीन हिंसा का भाग है, बल्कि इसका सुनियोजित लक्ष्य है इसलिए अनिवार्यतः किसी राजनीतिक क्रिया की ही प्रतिक्रिया होगी। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अगर किसी स्थान पर नक्सलवादी गतिविधियों हो रही है तो उसके बीज वहां की मिटटी में अवश्य मौजूद होंगें। वाहय घटक उसे एक सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं इसे विकृत कर सकते हैं लेकिन उसे पैदा नहीं कर सकते इस प्रकार नक्सलवाद के विकास के कारणों को हम इस प्रकार से चिन्हित कर सकते हैं।

1. प्रचलित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का पतन, आय विषमता, जातीय तनाव, मुद्रा स्फीति एवं बढ़ती आबादी।

2. असन्तोश की भावना लगातार व्याप्त होना और वैधानिक तरीके से इसका निराकरण न हो पाना।

3. लोकतान्त्रिक खुलेपन के कारण धन और हथियारों का आसानी से विदेशों से प्रवेश।

4. मानवाधिकारों व जनमत के प्रति संवेदनशीलता के कारण सशक्त कार्यवाही सम्भव न हो पाना।

5. प्रशासन की दुलमुल नीति और गैर जिम्मेदार सरकार वह जो शासन तन्त्र पर जमी रहती है लेकिन उसके काम वास्तव में लोगों की उचित समस्या को सुलझाने की दिशा के नहीं होते।

6. अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई या भू स्वामियों तथा भू मजदूरों के बीच का आर्थिक असन्तुलन भी नक्सलवाद का प्रमुख कारण है।

7. भारतीय राजनेताओं की ऐसी स्वार्थपरक राजनीति जिससे व्यक्तिगत स्वार्थों को देशहित से ऊँचा स्थान दिया जाता है इस समस्या को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। हमारे राजनेता चुनाव जीतने के लिए इन संगठनों की मदद लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद इनकी मदद करते हैं।

8. बढ़ती बेरोजगारी जिसके कारण निरूउद्देश्य युवा नक्सली आन्दोलन से आसानी से जुड़ जाते हैं क्योंकि रोजगार के कोई अन्य साधन न हो पाने के कारण वे इसे ही आय का जरिया बना लेते हैं।

9. भ्रष्ट राजनेता व प्रशासनिक अधिकारी जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आने वाली राशियों को स्वंय डकार जाते हैं।

10. न्यायिक तन्त्र की असफलता जिसमें अक्षम न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था लोगों को न्याय देने के स्थान पर उनका शोषण करती है जिसके कारण लोग नक्सलवाद की ओर आकर्शित होते हैं।

11. एक ओर हमारे सुरक्षा बलों के पास अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्रों का अभाव है वहीं दूसरी

ओर उनकी कार्यवाहियों में बाधक बनने वाले राजनेताओं के आदेशों के कारण भी हमारे सुरक्षा बल नक्सली संगठनों को कुचलने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर पाते।

12. समाज में हो रहे तीव्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लोगों में व्यक्तिगत असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं। जिसके कारण व्यक्ति हिंसक साधनों की तरफ सहज ही आकर्शित होते हैं।

वस्तुतः आतंकवाद से निपटना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता है विशेष तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो यह बिल्कुल ही आसान नहीं होता। नक्सली संगठनों की यह नीति होती है कि वे राज्य को अधिक से अधिक हिंसा करने के लिए उकसाये यदि सरकार उनके जाल में फंस जाती है तो वे अधिक से अधिक जनता की सहानुभूति पाने में सफल हो जाते है और यदि सरकार इस प्रकार की कार्यवाहियों के प्रति नरमी बरतती है या वह राजनीतिक रूप से जड़ हो जाती है तो नक्सलवाद को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करती और इस तरह सरकार जनता की निगाह में अक्षम करार की जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार कठोर और दमनकारी कार्यवाही करती है तो यह अपनी लोकप्रियता, समर्थन और वैधता खो देती है। ऐसे में नक्सलवाद की समस्या से निपटना बहुत नाजुक और मुश्किल काम होता है विशेषकर भारत जैसे राश्ट्र की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह एक परीक्षण बन गया है कि किस प्रकार वह नक्सलवाद की समस्या हल करे।

प्रजातंत्र अपने प्रारम्भ में नकसली आतंकवाद के प्रति पूर्णरूपेण सुरक्षित नहीं होता है स्वतन्त्र समाचार जगत जो कि प्रजातन्त्र का चौथा स्तम्भ कहलाता है प्रायः अलगाववादी गतिविधियों का खुलकर प्रचार करता है और नक्सली आम जनता में आतंक फैलाने के लिए इस माध्यम का सहारा अवश्य लेते है। साथ ही ये नकसली प्रचारक समाज के असन्तुष्ट लोगों के दलों में घुसपैठ करने में सफल हो जाते है और वे उचित और अनुचित राजनीतिक मांगों के बीच अन्तर को समाप्त कर देते है और ऐसा करते समय उचित राजनीतिक मांगे मनवाने और नकसली गतिविधियों के लिए सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। साथ ही लोकतान्त्रिक समाज के खुलेपन के कारण विदेशी ताकतें भी अलगवादी संगठनों को सहायता पहुचाने के लिए घुसपैठ करने में सफल हो जाती हैं।

भारत जैसे प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वाले देश में जनता बहुत बड़ा शक्ति कारक है अतः एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसमें जनता सरकार का सहयोग करें किन्तु यह तभी हो सकता है जब सरकार की नक्सल प्रतिरोध व्यवस्था प्रभावशाली हो। आतंक प्रतिरोधी बल में कर्मठ और निपुण व्यक्ति हो और खुफिया व्यवस्था सदृण होना इसकी प्राथमिक अनिवार्यता है। यदि जनता को उसकी सुरक्षा का आश्वासन मिल जाता है तो जनता सरकार का सक्रिय सहयोग करती है और सड़वा जुलूम जैसे आन्दोलन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है।

प्रजातान्तिक व्यवस्था में नक्सलवाद से विरूद्ध लड़ाई राजनीति से अलग मुददा है अतः इस समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल और नेता इस बात का आश्वासन दे कि वे इस प्रकार के नकसली संगठनों को समर्थन न करें। नकसली हिंसा से प्रभावित इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलायी जा रही अनेक कल्याणकारी योजानायें भी इस समस्या को नियन्त्रित नहीं कर पा रहे हैं। सम्भवतः हमारे राष्ट्र के नीति नियन्ता इस भ्रम कि वामपंथी उग्रवाद का समाधान प्रशासनिक है अथवा विकास जैसे द्वन्द्ध से ग्रसित दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सरकार द्वारा नक्सलवाद को सीमित करने की दिशा में चलायी जा रही योजनाओं की विवेचना करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रो में विकास के प्रयत्न नक्सलवाद सहायक हो रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि

नक्सलवाद सरकारी पैसे पर बढ़ रहा है। विकास पर किया जाने वाला अतिरिक्त व्यय नकसलियों के आर्थिक संसाधनों में सहायक हो रहा है।

अवधारणात्मक स्वरूप (Conceptual Framework)

नक्सलवाद मूल रूप से मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर आधारित है। इसके तहत, शोशित, उपेक्षित एवं दलित वर्ग अपनी संघर्श शक्ति से पूंजीपंतियों, जमींदारों, साहूकारों एवं शासकों को शिकार बनाते है। नक्सली आन्दोलन की प्रेरणा भले ही चीन से मिली हो, लेकिन देश की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों ने इस आन्दोलन के विकास के लिए उर्वर भूम तैयार की। आजादी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन सत्ता के सामंती चरित्र, जटिल नियम–कानून, भ्रष्टाचार प्रशासनिक उपेक्षाओं, जागरूकता की कमी जैसे कारणों से विकास का लाभ कुछ वर्गों और मुट्ठी भर लोगों तक ही सीमित रह गया। भूमि–सुधारों को भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इसके तहत शोषित, उपेक्षित एवं दलित वर्ग के पूँजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों–तात्पर्यतः सामन्तवाद को सामप्त करने के लिए संघर्ष आरम्भ किया गया जिसका वास्तविक उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता स्थापित करना है, किन्तु अकारण हिंसा, क्रूरता, अपराध एवं उग्रवाद, अपनाने के कारण यह समाज के लिए एक बड़ी चुनौती एवं आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से घातक सामयिक समस्या के रूप में उभरकर चुनौती बन गया है।

सन् 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के सिलीगुडी सम्भाग के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से किसान आन्दोलन के रूप में शुरू हुए संघर्ष को सन् 1967 में नक्सली आन्दोलन कहा गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारत में सन् 1964 में अस्तित्व में आई। कम्युनिस्ट क्रान्ति के जुनून से पी0पी0एम0 के सदस्य बने कम्युनिस्टों का मोहभंग उस समय हुआ, जब नक्सलवाड़ी गाँव में भूस्वामियों के विरूद्ध भूमिहीन किसान व बेरोजगार युवकों ने अपना संघर्ष अभियान शुरू किया। इस संघर्ष को सी0पी0एम0 सदस्य एवं जिला स्तरीय नेा चारू मजूमदार, कान्हू सान्याल व जंगल संथाल ने नेतृत्व प्रदान किया। नक्सलवादी विचार को सैद्धान्तिक आधार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सन् 1969 में सम्पन्न नवीं कांग्रेस में मिला, जिसके विचारों का उपयोग करते हुए नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार ने घोषणा की थी कि 'चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है।' पश्चिमी बंगाल से नक्सलवादी आन्दोलन भूमिहीन श्रमिकों की ओर से संघर्ष के रूप में बिहार में फैला।

सन् 1970 के मध्य और सन् 1971 के बीच नक्सलवादी हिंसा अपने चरम पर थी। सरकार इस नये खतरे से चौकस थी और इस दिशा में सरकार ने देश के सीमावर्ती राज्यों, खासतौर से पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेना की सहायता से एक आपरेशन (आपरेशन स्टीपलचेन्ज) शुरू किया। 16 जुलाई, 1972 को कोलकाता पुलिस ने चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गयी। उनके निधन के बाद नक्सलवादी आन्दोलन के एक अध्याय का अन्त हो गया।

सन् 1980 में आन्ध्रप्रदेश में कोंडापल्ली सीतारमैया के नेतष्त्व में पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्लूजी) के गठन के साथ इस आन्दोलन में फिर जान आ गयी। इसी प्रकार बिहार में एक अन्य संगठन माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर सक्रिय हुआ। सम्प्रति कुल मिलाकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने माना कि नक्सलवाद की चिंगारियां भारत के नौ राज्यों अर्थात चालीस फीसदी क्षेत्र में फैली हुई हैं। भार सरकार ने इतने बड़े भूभाग में इस आन्दोलन के प्रसार पर चिन्ता प्रकट की है। प्रधानमंत्री ने

नक्सलवादी आन्दोलन को देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बतलाया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हिंसा का ज्यादा जोर बस्तर इलाके में है, इसके अलावा सरगुजा, दंतेवाडा, बीजापुर, नाराणपुर, जगदलपुर, कांकरे एवं रायगढ़ में भी नक्सलियों की पैठ है। राज्य सरकार सलवा जुडुम (शान्ति मिशन) के जरिये आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश करती रही है, नक्सलवादी इसका विरोध करते हैं और वह सालवा जुडुम कार्यकर्ताओं की निर्ममता से हत्या कर देते है।

दक्षिण एशिया के माओवादी संगठनों का नेपाल से लेकर बिहार, दण्डकारण्य (छत्तीसगढ़) क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश तक ''सघन क्रांतिकारी क्षेत्र (कम्पैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन) अथवा रेड कोरिडोर बनाने की रणनीति है। कम्पैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन, योजना को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न समूहों में बँटे नक्सालियों को संगठित करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सी0पी0आई0एम0एल0, पी0डब्लू0जी0 तथा एम0सी0सी0 (आई) का भारतीय कम्पयूनिस्ट पार्टी–माओवादी नामक संगठन के रूप में विलय हो गया, जो मुप्पाला लक्ष्मण उर्फ गणपति के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। 21 सितम्बर 2004 को हुए इस विलय का लक्ष्य जनभावनाओं को पूरा करने के लिए आन्दोलन को गति प्रदान करना है। नक्सलवादियों का नया संगठन रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (आर0डी0एफ0) समूचे उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा और पंजाब में अपनी पैठ बनाने में लगा हुआ है, जिसका मुख्य कार्य बुद्धि जीवियों को माओवादी विचारधारा के आस–पास एक करना है।

जिन कारणों से देश में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, दुर्भाग्य से सभी आज भी मौजूद है। समाज में व्याप्त वर्गभेद के साथ गरीबी एवं बेरोजगारी भी एक प्रमुख कारण है। भूमि सुधार कार्यक्रमों पर ईमानदारी से अमल नहीं किया गया। नक्सलवाद आज इस कारण जिन्दा है, क्योंकि हमारे समाज में असन्तोश एंव विक्षोभ के कारण बाकायदा बने हुए है। जब तक भूख, उत्पीडन, दबाव, दहशत, पीड़ा एवं रोजगार वंचित आबादी रहेगी, तब तक असंतोश और अराजकता ऐसे आन्दोलनों को जन्म देती रहेंगी। जहाँ तक नक्सलवादी गुटों की प्रकषति का प्रश्न है, तेा न तो वे अलगाववादी है, ने ही उन्हे सही रूप से उग्रवादियो की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनका विश्वास ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है में नहीं है। घोषित तौर पर वे क्रान्ति करने निकले हैं, लेकिन वे स्वयं इस सवाल का जवाब नही दे सकते कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या करके वे लोग कौन सी क्रान्ति कर लेंगे। नक्सलवादियों की नजर में वह हर व्यक्ति दुश्मन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा के द्वारा न तो क्रान्ति उत्पन्न कर सकेंगे और न ही अपने उद्देश्य की पूर्ति। अतः इस समस्या के समाधान हेतु संतुलित तरीके से समन्वित प्रयास करने आवश्यकता है।

सरकार इसे कानून व्यवस्था के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़ी समस्या मानती है। इसीलिए दोनों स्तरों पर समस्या से निपटने के प्रयास करने होंगे अर्थात एक ओर नक्सलवादी हिंसा से दृढ़तापूर्वक निपटने की रणनीति, तो दूसरी ओर विकासात्मक पहलुओं पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना होगा। सल्वा जुडुम (नक्सल विरोध प्रतिक्रान्ति) छत्तीसगढ़ के बस्तर सम्भाग में प्रभावी आदिवासियों के लिए घर वापसी का सरकारी अभियान है, इसे और प्रभावी छत्तीसगढ के अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रोत्साहन हेतु लागू करना चाहिए।

नक्सली समस्या मूलतः सामाजिक–आर्थिक विकास और शोषण, उत्पीडन से जुड़ी समस्या है, इसलिए बन्दूक और सैनिकों शक्ति के बल पर इसका समाधान सम्भव न होगा। इसके लिए विकास

के लाभ और न्याय को निचले स्तर तक पहुँचना होगा। राज्य सरकारों को भूमि सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू करना होगा। राष्ट्रीय जनजातीय नीति में आदिवासियों के अधिकारों की समुचित व्यवस्था करने के साथ पिछड़े तथा दूरदराज के इलाकों में युवा वर्ग को रोजगार मुहैया कराना होगा। सम्प्रति सरकार ने उक्त समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक चौदह सूत्रीय योजना तैयार की है। इन सबको सही सकारात्मक दशा–दिशा मिले इसके लिए सरकार को बातचीत की अच्छी पहलकदमी की शुरूआत करनी होगी साथ ही माओवादियों को पहले हथियारों का समर्पण करने के लिए राजी करना होगा। सरकार ने यदि सच्चे मन से उपरोक्त तथ्यों पर सकारात्मक दृष्किोण अपनाना आरम्भ किया तो नक्सली वास्तव में लोकतान्त्रिक व्यवस्था में शामिल हो सकते है और आपसी भाई चारे के साथ मुख्य धारा में मिलकर आवाम को नया अहसास देंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आन्तरिक एकता एवं अखण्डता परम आवश्यक है। भारत की पहचान विश्व पटल पर सांस्कृतिक विभिन्नता वाले देश की है, जहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों, सम्प्रदायों के लोग सद्‌भाव के साथ रहते हैं, लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय एकता की छवि को अनेक कारको जैसे– नक्सलवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ने प्रभावित किया। आन्तरिक सुरक्षा से तात्पर्य हिंसात्मक, अराजकता एवं विघटनकारी तत्वों से देश की स्थिरता, अस्तित्व एवं स्थायित्व की रक्षा करना है। नक्सलवाद, आज जिस मोड़ पर पहुँच चुका है, इससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे गम्भीर खतरा है। नक्सलवादी घातक हिंसक कार्यवाहियों के माध्यम से दिन–प्रतिदिन सुरक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती पेश कर रहे है। समय रहते इसका निदान आवश्यक है वरना सम्पूर्ण राष्ट्र को अपने आगोश में ले लेगा।

शोध अनुसंधान प्रणाली (Research Methodology)

उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश में पाँचवा तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 243286 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 228054788 (2019 के अनुसार) है। इसके पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचंल प्रदेश, उत्तर में उत्तराचंल तथा दक्षिण में मध्यप्रदेश स्थित है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा माओवाद प्रभावित देश नेपाल से लगी हुई है। वर्तमान समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र Red Corrider की प्रथम श्रंखला के अन्तर्गत **उत्तर प्रदेश के तीन जिले चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं।**

चंदौली जिला वाराणसी से 28 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। चंदौली का कुल क्षेत्रफल 2554 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 2203317 (2019 के अनुसार) है। चंदौली जिले के अन्तर्गत तीन तहसील और 9 ब्लाक आते हैं। चंदौली के दक्षिण में सोनभद्र जिला तथा पश्चिम में मिर्जापुर जिला है तथा कर्मनाशा नदी चंदौली को बिहार से अलग करती है। उत्तर प्रदेश में नक्सल प्रभावित दूसरा प्रमुख क्षेत्र जिला मिर्जापुर है। मिर्जापुर का कुल क्षेत्रफल 4522 वर्ग किलोमीटर तथा कुल जनसंख्या 246920 (2019 के अनुसार) है। मिर्जापुर जिले के अर्न्तगत तीन तहसील और आठ ब्लाक आते हैं। इसी प्रकार से नक्सल प्रभावित तीसरा प्रमुख क्षेत्र **सोनभद्र** जिला है जिसका कुल क्षेत्रफल 6788 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 2101547 (2019 के अनुसार) है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की मुख्य समस्या गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा जातिगत असमानता है। इस क्षेत्र में साक्षरता दर प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में कम है। आय भी अनुपातिक दृष्टिकोण

से कम है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कृषि भूमि न्यून है और प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान है। सम्पूर्ण क्षेत्र अल्पविकसित अवस्था में है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण नक्सलवाद को पनपने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रायः दो प्रकार के समूह आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। पहला, वे जो स्थानीय जाति समूह हैं और सामाजिक समस्याओं यथा– जातिगत विद्वेश को लेकर प्रायः आतंकी कार्यवाहियाँ कर रहे हैं और दूसरे व समूह हैं जो स्थानीय समस्याओं के प्रतिरोध में नक्सलवाद का सहारा लेकर आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं और धीरे–धीरे रेड कोरिडोर अथवा नक्सलवाद के दर्शन से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं।

साथ ही साथ क्षेत्र में पहले से प्रभावी माफिया समूहों ने भी नक्सली संगठनों से साठ–गांठ करके समस्या के स्वरूप को और भी विस्तष्त कर दिया है। अब सरकार अथवा निति–नियन्ताओं के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या इन समूहों में से नक्सली समूहों अथवा नक्सली व्यक्तियों को पहचानने की है।नक्सलवाद के इस क्षेत्र में बढ़ने का अन्य प्रमुख कारण यह भी है कि यह क्षेत्र झारखण्ड एवं बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लगा हुआ है जिसके कारण प्रायः नक्सली गतिविधियों को समर्थन एवं सहयोग मिल रहा है और बिहार और झारखण्ड के नक्सली संगठन इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का प्रसार कर रहे हैं।

नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में अर्द्धसैनिक बल एवं पुलिस बल लगाए गये हैं लेकिन नक्सल प्रभाव नियन्त्रित होने के बजाए आस–पास के जनपदों को भी प्रभावित करने लगा है।

सन्दर्भ

1. एस0के0 मिश्रा, (2010) नालेज वर्ल्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. राजेन्द्र प्रसाद, (2001) इण्डियाज सेक्योरिटी इन ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी, डोमिन्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
3. वेद मारवाह, (2009) इण्डिया इन टरमाइल, रूपा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
4. विवेक चढ़ढा, (2008) लो इन्टेनसिटी कानफ्लिट्स, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. प्रकाश सिंह, (2005) द नक्सलाइट मूवमेन्ट इन इण्डिया, रूपा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
6. जे0सी0 जौहरी, (1972) नक्सलाइट पालिटिक्स इन इण्डिया, इंस्ट्टीट्यूट ऑफ कन्सट्टीटयूशनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज, रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. सुमन्ता बनर्जी, (1984) इण्डियाज सिमरिंग रिवोलुशनःद नक्सलाइट अपराइजिंग, जेड बुक पब्लिशर्स, कोलकत्ता।
8. सोहेल जावेद, (1979) द नक्सलाइट मूवमेन्ट इन इण्डिया ओरिजिन एण्ड फेल्योर ऑफ द माओइस्ट रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी इन वेस्ट बंगाल, एसोसिएट पब्लिकेशन हाऊस, कालकत्ता।
9. ओमप्रकाश तिवारी (2009), राश्ट्रीय सुरक्षा प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. शंकर घोश, (1975) द नक्सलाइट मूवमेन्ट, ए माओइस्ट एक्पेरिमेन्ट के0एल0 फर्मा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
11. सुमन्ता बनर्जी, (2006) आदिवासी ऑफ छत्तीसगढ़ – क्विट ऑफ द नक्सलाइट मूवमेन्ट एण्ड साल्वा जूडूम कैम्पेन, जैन बुक एजेन्सी, भोपाल।

12. अशोक कुमार, (2006) द नक्सलाइट : थ्रो द आइज ऑफ द पुलिस, डेज पब्लिशिंग कम्पनी, कोलकत्ता।
13. कुमार और जायसवाल–(2008) 21वीं सदी में भारत की सुरक्षा चुनौतियां, महावीर पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
14. सुमित्रा मोहन, (2007) नक्सलिज्म, द ऐंनमी विदिन, आई0पी0सी0एस0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
15. एन0सी0 अस्थाना, (2001) टेरोरिज्म, इन्सरजेन्सी एण्ड काउन्टर इन्सरजेन्सी आपरेशन, प्वाइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
16. के0पी0एस0गिल, (2007) अस्थिरता फैलाने वाली शक्तियों का मजबूती के साथ मुकाबला जरूरी, योजना, फरवरी।
17. हरीश लखेडा, (2008) आन्तरिक सुरक्षा को चुनौती, दैनिक जागरण 12, फरवरी।
18. पी0सी0 जोशी (2009) (महानिदेशक सी0आर0पी0एफ0) लोकतन्त्र में लगा नक्सलवाद का धुन ''दैनिक जागरण, 6 अप्रैल।
19. अमरनाथ के0मेनन, (2008) आतंकवाद का चक्रव्यूह ''इण्डिया टूडे 13 फरवरी।
20. के0 सुब्रमन्यम, (2007) नक्सली हिंसा की आग में सुलगते राज्य नवभारत टाइम्स, 16 अक्टूबर।